शालिनी

बनाम

न्यू इंग्लिश हाई स्कूल एसोसिएशन व अन्य

(सिविल अपील सं. 10997/2013)

12 दिसंबर, 2013

[टी. एस. ठाकुर और विक्रमजीत सेन, जे. जे.]

सामाजिक स्थिति प्रमाणपत्रः

जाति प्रमाण पत्रःजाति प्रमाण पत्र के आधार पर की गई नियुक्ति, जिसे बाद में अमान्य पाया गया-रोजगार की समाप्ति या कर्मचारी संरक्षण के विस्तार का हकदार है और इसकी सीमा-उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से उभरने वाले सिद्धांत-खारिज किया गया।

अनुसूचित जनजाति-"हलबा"-"गडवाल कोष्ठी"-अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित पद पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र का आधार नियुक्त किया गया-जाति प्रमाणपत्र बाद में जाँच समिति द्वारा अवैध पाया गया-अवधारितःएक व्यक्ति जिसने ईमानदारी से किसी समूह के साथ समानता का दावा किया, जो बाद में उस समूह से संबंधित नहीं पाया गया लेकिन जो एक विशेष पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उसकी नौकरी को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए तथा 2000 के

अधिनियम की धारा 10 की कठोरता उसके मामले में लागू नहीं होगी-अतः यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी को बिना किसी पिछले वेतन के सेवा में बहाल किया जाए-विद्यालय की प्रधानाध्यापिका के रूप में उसकी नियुक्ति के बारे में आगे निर्देश दिए गए हैं-महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर अधिसूचित जनजातियाँ(विमुक्त जातियाँ), खानाबदोश जनजातियाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग(जारी करने और सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाण पत्र अधिनियम, 2000 धाराएं 2(क) और 10-महाराष्ट्र सरकार का दिनांक 15.6.1995 का संकल्प-कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार का कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 10.8.2010

पूर्ववर्तीः

तीन जजों की न्यायपीठ-दो जजों की पीठ के फैसले को नहीं पलटा-ऐसे निर्णयों का पूर्ववर्ती मूल्य तथा पर इनक्यूरियम का नियम-चर्चा की गई।

अपीलार्थी को दिनांक 6.11.1981 को अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए निर्धारित रिक्ति के विरूद्ध सहायक शिक्षक पद पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र दिनांकित 8.7.1974 के आधार पर उसे "हलबा अनुसूचित जनजाति श्रेणी" से संबंधित होना मानकर नियुक्त किया गया था। दिनांक 28.4.1994 को उसे जाति वैधता प्रमाण

पत्र प्रस्तुत करने के अधीन प्रधानाध्यापिका के पद पर पदोन्नत किया गया था। जाति जाँच समिति ने दिनांक 20.8.2003 के आदेश द्वारा अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी का जाति प्रमाण पत्र अमान्य है। शुरुआत में, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने उसे सरकार के दिनांक 15.6.1995 के संकल्प के आधार पर सुरक्षा प्रदान की। हालांकि, बाद में, एक रिट याचिका में, एकल न्यायाधीश ने दिनांक 11.11.2009 के आदेश द्वारा स्कूल ट्रिब्यूनल द्वारा पारित बहाली आदेश को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आदेश दिनांकित 11.11.2009 की पुष्टि यह मानते हुए की कि *दत्तात्रेय* ने अपीलार्थी को किसी भी प्रकार की सुरक्षा के विस्तार से प्रतिबंधित कर जुर्माना 20000 दिया है।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत, जाति के आधार पर की गई नियुक्ति पर प्रभाव तय करने के लिए निम्न प्रकार प्रासंगिक हैं(क) यदि किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा किया है और इस प्रकार रोजगार प्राप्त किया है, उसे नौकरी में बने रहने से वंचित कर दिया जाएगा। इस निष्कर्ष की कठोरता को केवल उन मामलों में कम किया गया है जहां न्यायालय ऐसे मामलों का सामना कर रहा हो जिनमें छात्र पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं या ऐसा करने के कगार पर हैं, जिनके प्रति

सहानुभूति समझ में आने लायक ढंग से विस्तारित की जा सकती है(ख)विधि का यह आशय नहीं है कि वह किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित करें और उसे अत्यधिक सजा दें। जहाँ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के दर्जे से प्राप्त होने वाले लाभों की पात्रता के बारे में कुछ संदेह है, जैसे कि 'हलबास' ब्रॉडबैंड के तहत 'कोष्ठी' या 'हलबा कोष्ठी' का दावा करने वाले व्यक्तियों को प्रासंगिक प्रमाण पत्र जारी करना, वहां ऐसे व्यक्तियों को रोजगार का संरक्षण इस संशोधन के साथ उपलब्ध रहेगा कि उन्हें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसा भी मामला हो, के वर्ग के तहत मिलने वाले लाभों के लिए अपात्र मानते हुए उन्हे सामान्य श्रेणी के वर्ग में समायोजित किया जाएगा।(ग) यह लाभ इस न्यायालय के निर्णय राजू रामसिंग वसावे, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रस्तुत किया गया था, से उद्भूत होता है। राज्य सरकारों द्वारा पारित प्रस्तावों/विधानों से ईमानदार व्यक्तियों के मन में उत्पन्न होने संभावित भ्रम को समझते हुए इस वर्ग के लोगों को कुछ सहायता मिलनी चाहिए। इसे सबसे अच्छी तरह से इस तथ्य से स्पष्ट किया जा सकता है कि यह *मिलिंद* में था जिसे संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि 'कोष्ठी' या 'हलबा कोष्ठी' अनुसूचित जनजाति के रूप में मिलने वाले अधिकार के हकदार नहीं है, केवल 'हलबा' ही इस अधिकार के हकदार थे। *विलास* के साथ-साथ *सोलुंके* के फैसले का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संरक्षण इस न्यायालय के निर्णयों केजुर्माना 20000 आधार पर उपलब्ध है;

यह विशेष रूप से या अनिवार्य रूप से राज्य विधानमंडल के किसी भी संकल्प या विधान पर आधारित नहीं है;(घ) जहां कोई संकल्प या विधान मौजूद है, इसका उद्देश्य यह है कि संरक्षण *वर्तमान* में उचित है(सेवा से हटाने या परिवर्तन पर) लेकिन *भविष्य* में नहीं(अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में पदोन्नति पर प्रतिबंध)[पैरा 5 और 6] [816-ई-एच; 817-ए-डी]

महाराष्ट्र बनाम. मिलिंद 2000 पूरक 5 एससीआर 65 =(2001) 1 एस.सी.सी. 4; भारत संघ बनाम दत्तात्रेय 2008 (2) एससीआर 1096=(2008) 4 एस.सी.सी. 612; राजू रामसिंह वासवे बनाम महेश देवराव भिवापुरकर 2008(12) एस.सी.आर. 992=(2008) 9 एस.सी.सी. 54 पंजाब नेशनल बैंक बनाम विलास (2008) 14 एससीसी 545 कविता सोलुन्के बनाम महाराष्ट्र राज्य(2012) 7 एससीआर 251=(2012) 8 एससीसी 430; ई. वी. चिन्नायाह बनाम अरूणाचल प्रदेश राज्य 2004 पूरक 5 एससीआर 972=(2005) 1 एससीसी 394; आर विश्वनाथ पिल्लई बनाम केरल राज्य 2004 (1) एससीआर 360=(2004) 2 एससीसी 105 ; महाराष्ट्र राज्य बनाम ओम राज (2007) 14 एससीसी 488; बैंक ऑफ इंडिया बनाम अविनाश डी. मंडीविकार 2005 पूरक 3 एससीआर 170=(2005) 7 एससीसी 690 और बीएचईएल बनाम सुरेश रामकृष्ण बर्डे 2007 (6) एस.सी.आर. 388=(2007) 5 एस.सी.सी. 336; और महाराष्ट्र राज्य

बनाम संजय के. निम्जे 2007 (1) एस.सी.आर. 960=(2007) 14 एस.सी.सी. 481-संदर्भित।

1.2 *दत्तात्रेय* एकमात्र तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है, इसलिए निर्विवाद रूप से अधिमानता रखता है और यह *दत्तात्रेय* की सामर्थ्य है कि वह दो न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय को पलट दे लेकिन उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। पर इनक्यूरियम का सिद्धांत निर्णय पर लागू नहीं होगा। दो-न्यायाधीशों की पीठ के विचार पर अभी भी वहां तक भरोसा किया जा सकता है जहां तक वे *दत्तात्रेय* के अनुपात के विरोध में नहीं है।[पैरा 6] [817-जी-एच]

1.3 महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांकित 15.6.1995 ने इस संबंध में यथास्थिति प्रदान की है यद्यपि यह कहता है कि उन व्यक्तियों, जिन्होने जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पहले से ही सरकार या अर्ध सरकार में नियुक्त या पदोन्नत प्राप्त की है, को सेवा से पदच्युत या हटा नहीं दिया जाएगा। इसके बाद, महाराष्ट्र अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजाति, गैरअधिसूचित जनजाति, (विमुक्त जाति) खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और विशेष पिछड़े वर्ग(जारी करने का और सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाणपत्र अधिनियम, 2000 अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 10 पूर्ववती प्रभाव से किसी भी लाभ, जो किसी व्यक्ति द्वारा एक झूठे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त किया

गया हो, को समाप्त कर देती है। धारा 10 *दत्तात्रेय* में लागू होती है जिसे केवल आकार दिया गया है। *निमजे* में, दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि सरकारी संकल्प दिनांकित 15.6.1995, 2000 के अधिनियम के पारित होने के बाद भी होगा, यदि नियुक्ति 1995 से पहले हुई थी। इसके अलावा, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 10.8.2010 में यह प्रावधान है कि "वे व्यक्ति जो 'हलबा कोष्ठी/कोष्ठी' जाति से संबंधित हैं तथा जिन्हे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित पद पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हे जारी किए गए अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति मिली है, उन्हें संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950(समय-समय पर यथासंशोधित), जहां तक कि वह महाराष्ट्र राज्य व उसकी नियुक्तियाँ से संबंधित है, 28.11.2000 पर या उससे पहले अंतिम हो गई थीं, प्रभावित नहीं होंगी। लेकिन उन्हें 28.11.2000 के बाद आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।[पैरा 7] [818-जी एच; 819-ए-बी; 820-एच; 821-ए-डी]

1.4 यह समझने के लिए कि कौनसी श्रेणी अपेक्षाकृत पिछड़े या बहिष्कृत या आदिवासी, में आती है, विशेष निकायों की आवश्यकता होती है। जैसे जाति जाँच समितियाँ, विशेषज्ञ वकील, अनुभवी नौकरशाह आदि। इसलिए, एक व्यक्ति जिसने ईमानदारी से किसी समूह के साथ समानता का दावा किया, जो बाद में उस समूह से संबंधित नहीं पाया गया लेकिन

जो एक विशेष पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उसकी नौकरी को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में, चूंकि अपीलार्थी के दावे में कोई झूठ नहीं था, इसलिए उसे ऐसे नहीं देखा जा सकता कि उसने झूठा प्रमाणपत्र पेश किया हो। 2000 के अधिनियम की धारा 10 की कठोरता उसके मामले में लागू नहीं होगी। अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र समिति के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि समिति इस बात से संतुष्ट थी कि 'गडवाल कोष्ठी' जाति के संबंध में उसका दावा सही था लेकिन वह 'हलबा' अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं थी। सरकारी संकल्प दिनांकित 15.6.1995 दूसरों के बीच 'गोडवाल कोष्टि' को "विशेष पिछड़े वर्ग" के रूप में विशेष रूप से घोषित करता है। इसलिए, अपीलार्थी को 'हलबा' जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को मिलने वाले लाभों से आगे से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।[पैरा 8-9] [821-एफ-एच; 822-सी-ई, एच; 823-ए-सी]

1.5 . तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी को बिना किसी पिछले वेतन के सेवा में बहाल किया जाये। इसके अलावा विद्यालय की प्रधानाध्यापिका के रूप में उसकी पुनर्नियुक्ति के संबंध में निर्देश दिए गए।[पैरा 10] [823-डी]

कानूनी संदर्भः

2008 (2) एससीआर 1096

2000 पूरक 5 एससीआर 65 पैरा 1

2004 पूरक 5 एससीआर 972 पैरा 1

2004 (1) एससीआर 360 पैरा 2

(2007) 14 एससीसी 488 पैरा 3

2008 (14) एस.सी.सी. 545 पैरा 3

2005 पूरक 3 एससीआर 170 पैरा 4

2007 (6) एससीआर 388 पैरा 4

2007 (1) एससीआर 960 पैरा 4

2012 (7) एससीआर 251 पैरा 5

सिविल अपील अधिकारिताः सिविल अपील संख्या 10997/2013

बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ की लेटर्स पेटेन्ट अपील संख्या 527/2009 में निर्णय व आदेश दिनांकित 25.11.2009 से।

अपीलार्थी की ओर से सत्यजीत ए. देसाई, अनग्घा एस. देसाई।

उत्तरदाताओं की ओर से शंकर चिल्लार्जे,(आशा गोपालन नैय्यर), मनीष पिटाले, वसी हैदर, चंदर शेखर अशरी।

न्यायालय का निर्णय विक्रमजीत सेन, जे. द्वारा दिया गयाः

1. अनुमति दी गई। इस अपील के द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के एकल न्यायाधीश द्वारा एल.पी.ए. नम्बर 527/2009 में पारित आदेश दिनांकित 25.11.2009 को आक्षेपित किया गया जिसके

द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा भारत संघ बनाम दत्तात्रेय (2008) 4 एससीसी 612। में पारित मत के आधार पर अपीलार्थी की रिट याचिका को प्रारंभिक तौर पर खारिज करने के आदेश को पुष्ट किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष यह आदेश आक्षेपित था कि स्कूल अधिकरण, नागपुर द्वारा अपीलार्थी की सेवाओं को पिछले बकाया वेतन के साथ बहाल कर दिया गया था। अपीलार्थी को अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी हेतु आरक्षित एक पद के विरुद्ध सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके द्वारा 'हलबा' अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से संबंधित होने की गवाही देने वाला सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र दिनांकित 8.7.1974 पेश किया गया। हमारे सामने जो सवाल है, वह वास्तव में परेशान करने वाला है, क्याोंकि सारी समस्याएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्थिति व पारिणामिक लाभों के लिए किये जाने दावों से उत्पन्न हो रही है। केवल चुनावी लाभ को ध्यान में रखते हुए कुछ जातियों और वर्ग के लोगों का बहिष्करण या समावेशन सबसे अधिक भ्रमित करने वाला है। अनुच्छेद 341 और 342 के तहत पूर्ववर्तिता, पश्चातवर्ती गणना में अंतर्निहित है क्याोंकि उक्त चयन अपरिवर्तनीय या अटल हैं; इसलिए सभी परिवर्तन केवल सामग्री में स्पष्टीकरण हैं क्योंकि संसद का प्रयास उपजातियों या चयनित जातियों और जनजातियों के पर्याय का उल्लेख करते हुए गणनाओं को अधिक विस्तृत बनाना है। नई जातियों/जनजातियों

को शामिल करने का संविधान निर्माताओं का आशय था, इसे अनुज्ञेय नहीं किया जाना चाहिए, इसी क्रम में "राष्ट्रपति द्वारा प्रकाशित अनुसूची में छेड़छाड़ के किसी भी प्रकार के राजनीतिक कारक को समाप्त करने के लिए" डॉ. अम्बेडकर के संविधान सभा के भाषण के अनुसार, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा कम से कम दो बार स्वीकार किया जाता है, जैसाकि महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिन्द (2001) 1 एस.सी.सी 4 और ई. वी. चिन्नैया बनाम अरूणाचल प्रदेश राज्य (2005) 1 एस.सी.सी. 394। हमें तय करना है कि क्या अपीलार्थी की नियुक्ति उचित रूप से समाप्त कर दी गई थी क्योंकि एक जाति जांच समिति द्वारा कई दशकों की समाप्ति के पश्चात उसे हलबास से प्राप्त होने वाले लाभों का दावा करने के लिए अयोग्य पाया।

2. आर. विश्वनाथ पिल्लई बनाम केरल राज्य (2004) 2 एस.सी.सी. 105 में इस न्यायालय ने यह पाया था कि अपीलार्थी द्वारा प्राप्त किया गया जाति प्रमाण पत्र शुरू से ही गलत था। इस तर्क को खारिज कर दिया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के अनुपालन में किसी प्रावधान द्वारा अभिनिर्धारित किसी भी दंड के अधिरोपण से पूर्व इस आधार पर कि नियुक्ति स्वयं अवैध और अमान्य थी, एक नया नोटिस जारी किया जाना चाहिए था, जिससे अपीलार्थी को संवैधानिक संरक्षण से वंचित किया जा जुर्माना 20000 सके। इस न्यायालय ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया कि चूंकि अपीलार्थी ने 27 साल

की सेवा दी थी, इसलिए बर्खास्तगी का आदेश अनिवार्य सेवानिवृत्ति या सेवा से हटाने में परिवर्तित होना चाहिए जिससे कि पेंशन लाभ प्राप्त किये जा सके। तुरंत इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या ये कठोर परिणाम तब भी सामने आने चाहिए और प्राप्त होने चाहिए, जबकि कोई व्यक्ति, जिसने अनुसूचित जाति के लाभों का दावा किया है और उनका आनंद लिया है, धोखाधड़ी, झूठ या हेरफेर के लिए जिम्मेदार नहीं हो।

3. महाराष्ट्र राज्य बनाम ओम राज (2007) 14 एस.सी.सी. 488 में यह झुकाव पैदा हुआ जबकि कई अपीलें सामान्यतः *मिलिंद* के आधार पर तय किये जाने के लिए आई, जिसका सार यह था कि कोष्ठी होने की ताकत के आधार पर जिन लाभों का दावा किया गया था, उनको संरक्षित किया जाएगा, लेकिन पदधारी भविष्य में ऐसे किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा। शंकाओं के निवारण के लिए *ओम राज* में महाराष्ट्र राज्य बनाम विश्वनाथ [सिविल अपील नम्बर 7375/2000 को भी अन्य अपीलों के साथ तय किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक बनाम विलास (2008) 14 एस.सी.सी. 545, में कर्मचारी ने एक हलबा अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र पेश किया था और 1989 में रोजगार प्राप्त किया था जो अनुसूचित जनजाति जांच समिति द्वारा अमान्य कर दिया गया जिसका प्रभाव यह हुआ कि एक आदेश दिनांकित 4.2.2002 द्वारा प्रत्यर्थी की सेवाएं समाप्ति कर दी गयी।

मिलिंद के पिछले निर्णय से आकर्षित होते हुए यह न्यायालय पुनः दोहराता है कि हलबा कोष्टि या कोष्टि को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया था बल्कि केवल 'हलबा' को दिया गया है।

इसलिए यह न्यायालय एक बार पुनः प्रत्यर्थी के रोजगार को सुरक्षित करता है लेकिन यह स्पष्ट किया जाता है कि वह अनुसूचित जनजाति श्रेणी में और पदोन्नति का दावा करने का हकदार नहीं होगा। यह भी घोषित किया जाता है कि सरकार का प्रस्ताव दिनांकित 30.06.2004 सरकारी/अर्ध सरकारी और बोर्ड, नगरपालिकाएँ, नगर निगम, जिला परिषद, सहकारी बैंक, सरकारी उपक्रमों आदि के साथ सभी रोजगारों पर लागू होगा।

4. लगभग एक साल बाद इसी सवाल, जिसके कारण पहले से ही मुकदमे की बाढ़ आई हुई थी, ने तीन न्यायाधीशों की पीठ का ध्यान दत्तात्रेय में आकर्षित किया। प्रत्यर्थी, जो अनुसूचित जनजाति 'हलबा' से संबंधित होने का दावा करता है, को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित एक पद के विरूद्घ जी. बी. पंत अस्पताल, नई दिल्ली में मनोचिकित्सा के सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के सत्यापन से पता चला कि वह हलबा जनजाति से संबंधित नहीं था। उच्च न्यायालय के समक्ष इस निष्कर्ष को दूसरी चुनौती व्यर्थ साबित होगी। हालाँकि, *मिलिंद* में संविधान पीठ द्वारा अवधारित अनुसार,

जिसे एक गलत जानकारी वाला पठन माना गया है, उच्च न्यायालय ने सोचा कि उनकी सेवा की रक्षा करना उचित है। तीन न्यायाधीशों की पीठ को इस न्यायालय के दो अन्य निर्णय, बैंक ऑफ ईण्डिया बनाम अविनाश डी. मंडीविकार (2005) 7 एससीसी 690 और बीएचईएल बनाम सुरेश रामकृष्ण बर्डे (2007) 5 एस.सी.सी. 336 निर्देशित किये गये और नोटिंग कि कर्मचारी ने झूठा दावा किया था कि वह अनुसूचित जनजाति/हलबा से संबंधित है, उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया गया। जब तक यह कर्मचारी-डॉक्टर के अंतिम लाभ के निपटान की अनुमति देता है यह पेंशन लाभ प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगा देताह है। यह निष्कर्ष तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा संजय के. निमजे (2007) 14 एससीसी 481 पर ध्यान दिए बिना निकाला गया जिसमें उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा एक व्यक्ति जो 'कोष्ठी' जनजाति से संबंधित था, (यहां तक कि 'कोष्ठी-हलबास' भी नहीं) की बहाली के आदेश को अपास्त कर दिया गया था।

5. यह स्पष्ट है कि कानून के इस पहलू पर कई उदाहरण हैं और शायद इसी कारण से पक्षकारों के अधिवक्ता वर्तमान वर्तमान कार्यवाहियों में हमारा ध्यान कविता सोलुंके बनाम महाराष्ट्र राज्य महाराष्ट्र राज्य (2012) 8 एस. सी. सी. 430 के विस्तृत निर्णय की आेर आकर्षित करने से चूक रही थीं, जिसमें हम में से एक, जस्टिस ठाकुर ने ग्यारह उदाहरणों का विश्लेषण किया था, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन पर ऊपर चर्चा की

गई है। सभी निर्णयों की समीक्षा करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया गया कि उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जबकि पक्षकार ने जानबूझकर या बेईमान इरादे से अनुसूचित जनजाति के मनगढ़ंत विवरण नियुक्ति के मामले में अनुचित लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से नहीं दिया था, वहां वह सेवा से निष्कासन के खिलाफ सुरक्षा की हकदार है, लेकिन अन्य किसी लाभ की नहीं। *सोलुंके* मामले के व्यापक लेकिन संक्षिप्त विचार को देखते हुए आगे विश्लेषण वर्तमान व्याख्या का आवश्यक रूप से अतिविस्तार कर देगा और इसलिए हमारा प्रयास होगा उन सिद्धांतों को बाहर निकालने का जो इस तरह की समस्याओं को तय करने के लिए सुसंगत हों। ये हैं-(क) यदि किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा किया है और इस प्रकार रोजगार प्राप्त किया है, उसे नौकरी में बने रहने से वंचित कर दिया जाएगा। इस निष्कर्ष की कठोरता को केवल उन मामलों में कम किया गया है जहां न्यायालय ऐसे मामलों का सामना कर रहा हो जिनमें छात्र पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं या ऐसा करने के कगार पर हैं, जिनके प्रति सहानुभूति समझ में अाने लायक ढंग से विस्तारित की जा सकती है(ख)जहाँ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के दर्जे से प्राप्त होने वाले लाभों की पात्रता के बारे में कुछ संदेह है, जैसे कि 'हलबास' ब्रॉडबैंड के तहत 'कोष्ठी' या 'हलबा कोष्ठी' का दावा करने वाले व्यक्तियों को प्रासंगिक प्रमाण पत्र जारी करना, वहां ऐसे व्यक्तियों को रोजगार का संरक्षण इस

संशोधन के साथ उपलब्ध रहेगा कि उन्हें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसा भी मामला हो, के वर्ग के तहत मिलने वाले लाभों के लिए अपात्र मानते हुए उन्हे सामान्य श्रेणी के वर्ग में समायोजित किया जाएगा। (ग) यह लाभ इस न्यायालय के निर्णय राजू रामसिंग वसावे, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रस्तुत किया गया था, से उद्भूत होता है। राज्य सरकारों द्वारा पारित प्रस्तावों/विधानों से ईमानदार व्यक्तियों के मन में उत्पन्न होने संभावित भ्रम को समझते हुए इस वर्ग के लोगों को कुछ सहायता मिलनी चाहिए। इसे सबसे अच्छी तरह से इस तथ्य से स्पष्ट किया जा सकता है कि यह *मिलिंद* में था जिसे संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि 'कोष्ठी' या 'हलबा कोष्ठी' अनुसूचित जनजाति के रूप में मिलने वाले अधिकार के हकदार नहीं है, केवल 'हलबा' ही इस अधिकार के हकदार थे। जस्टिस सिरपुरकर द्वारा *विलास* के साथ-साथ *सोलुंके* के निर्णय का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संरक्षण इस न्यायालय के निर्णयों के आधार पर उपलब्ध है; यह विशेष रूप से या अनिवार्य रूप से राज्य विधानमंडल के किसी भी संकल्प या विधान पर आधारित नहीं है;(घ) जहां कोई संकल्प या विधान मौजूद है, इसका उद्देश्य यह है कि संरक्षण *वर्तमान* में उचित है(सेवा से हटाने या परिवर्तन पर) लेकिन *भविष्य* में नहीं(अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में पदोन्नति पर प्रतिबंध)

6. विवादित फैसले को पढ़ने के लिए हमें आवश्यक है कि वरीयता के सिद्धांत के एक महत्वपूर्ण पहलू को स्पष्ट करें। दत्तात्रेय एकमात्र तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है, और इसलिए निर्विवाद रूप से यह प्रमुखता रखता है। यद्यपि उसी समय कई निर्णय पहले ही दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए जा चुके थे, जिनमें से कुछ पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। यह दत्तात्रेय पीठ की सामर्थ्य है कि वह दो न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय को पलट दे लेकिन उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। पर इनक्यूरियम सिद्धांत निर्णय पर लागू नहीं होगा क्योंकि यह एक बड़ी पीठ थी। हालांकि, यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि *दत्तात्रेय* तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले की राय थी कि पहले दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसलों ने एक गलत व्याख्या को स्पष्ट किया था। ऐसा होने पर, दो-न्यायाधीशों की पीठ के विचार पर अभी भी वहां तक भरोसा किया जा सकता है जहां तक वे *दत्तात्रेय* के अनुपात के विरोध में नहीं है। इसलिए दत्तात्रेय के अनुपात को शुद्घ करना अनिवार्य है, जिसकी हम पहले ही कुछ विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इसलिए हमें यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के दर्जे के दावे के झूठ से प्रत्यक्ष रूप से नाराज थी। यह एक ऐसा मामला नहीं था जहां 'हलबा कोष्ठी', 'कोष्ठी' या 'गडवाल कोष्ठी' आदि के लिए सहमति का एक वैध दावा था, जिसे शुरुआत के समय अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकार्य लाभकारी उपचार योग्य

माना जाता था। बाद में *मिलिंद* में संविधान पीठ के फैसले द्वारा उलट दिया जाए और केवल हलबास की पात्रता घोषित की गई। विधि का एक निर्दोष व्यक्ति को दंडित करने का तथा उसे अत्यंत कठोर उपचार के अधीन करने का आशय नहीं है। यही कारण है कि इस न्यायालय ने तैयार किया है और लगातार उन कराधान कानूनों का पालन किया है, जो लगभग हमेशा निर्धारिती के आर्थिक नुकसान के लिए काम करती है, उनकी निर्धारिती के पक्ष में व्याख्या की जाए। इसलिए, जैसा हम देखते हैं, एक तरफ ऐसे मामले हैं जिनमें बेईमान और झूठे व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर स्वंय को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आदि के समान होने का दावा किया है, जबकि दूसरी तरफ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होने ईमानदारी से और सही ढंग से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा किया है लेकिन जिन्हे बाद में संबंधित प्राधिकरण द्वारा संरक्षित उपचार के लिए परिकल्पित उस विशेष समूह के भीतर नहीं पाया गया।। पूर्व समूह के व्यक्तियों की सेवाओं की समाप्ति सहित लाभ न्यायसंगत रूप से तत्काल रोक दिये जाने चाहिए। बाद के समुह के व्यक्तियों के बीच अस्पष्टता और अनिश्चितता दूर करने के पश्चात पहले से प्राप्त लाभों को अस्वीकार नहीं किया जाएगा, वे उक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने की घोषणा पर आगे या निरंतर किसी लाभ का दावा करने हकदार नहीं होंगे।

7. अब हमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारित सरकारी संकल्प दिनांकित 15.6.1995 पर विचार करना चाहिए। वस्तुतः यह रोजगार के संबंध में यथास्थिति प्रदान करता है, जैसाकि यह कहता है कि वे व्यक्ति जिन्हे जाति प्रमाणपत्र के आधार पर पहले ही सरकार या अर्ध-सरकार में नियुक्त या पदोन्नत किया जा चुका है, को पदावनत या पदच्युत नहीं किया जाएगा। इसके बाद महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अधिसूचित जनजाति, (विमुक्त जाति) पिछड़ा वर्ग (जारी करने और सत्यापन का विनियमन)जाति प्रमाणपत्र अधिनियम, 2000 (संक्षेप में, '2000 अधिनियम') विधानमंडल द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति से इसकी सहमति प्राप्त की गई। इसकी धारा 10 इस प्रकार हैः

10. झूठे जाति प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त लाभ को वापस ले लिया जायेगा

(1) जो कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर-अधिसूचित जनजातियाँ(विमुक्त जातियाँ), खानाबदोश जनजातियाँ, विशेष पिछड़ा वर्ग के अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित ना होते हुए किसी भी शिक्षा संस्थान में उक्त जाति, जनजाति या वर्ग के लिए आरक्षित पद के विरूद्घ प्रवेश प्राप्त करता है, या सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या सरकार के स्वामित्व की या उसके नियंत्रणाधीन किसी कम्पनी या निगम में, या सरकारी सहायता प्राप्त किसी संस्थान में या सहकारी समिति में ऐसी जाति, जनजाति या

वर्ग के लिए आरक्षित पद के विरूद्घ पर झूठा जाति प्रमाणपत्र पेश कर कोई नियुक्ति प्राप्त करता है, जाँच समिति द्वारा उसका जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिये जाने पर संबंधित शैक्षणिक संस्थान से प्रतिबंधित किए जाने के लिए या जैसा भी मामला हो उक्त रोजगार से तुरंत छुट्टी दे दिये जाने के लिए उत्तरदायी होगा तथा ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे प्रवेश या नियुक्ति के आधार पर प्राप्त अन्य लाभ उससे तुरंत वापस ले लिये जायेंगे।

(2) ऐसे व्यक्ति को सरकार या अन्य एजेंसी द्वारा छात्रवृत्ति, अनुदान, भत्ता या अन्य किसी माध्यम से वित्तीय लाभ के रूप में दी गई कोई भी राशि ऐसे व्यक्ति से भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय होगी।

(3) तत्समय प्रवृत किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे जाति प्रमाणपत्र के आधार पर, जो बाद में झूठा पाया जाता है, किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेकर प्राप्त की गयी डिग्री, डिप्लोमा या अन्य शैक्षणिक योग्यता को भी रद्द कर दिया जाएगा, यदि ऐसा जाति प्रमाणपत्र जाँच समिति द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

(4) तत्समय प्रवृत किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसा व्यक्ति किसी भी वैधानिक निकाय का सदस्य होने से अयोग्य होगा यदि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी, सहकारी समिति या अन्य वैधानिक निकाय के लिए ऐसी सीट से चुनाव लड़ता है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति, गैरअधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है तथा ऐसी जाति, जनजाति या वर्ग से संबंधित मिथ्या प्रमाण पत्र प्राप्त करके जो प्रमाणपत्र जाति जांच समिति द्वारा रद्द कर दिया जाता है और ऐसे व्यक्ति द्वारा इस प्रकार प्राप्त कोई भी लाभ उस व्यक्ति से भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा और ऐसे व्यक्ति का चुनाव पूर्वव्यापी रूप से समाप्त माना जाएगा।

संक्षेप में, यह धारा किसी भी ऐसे लाभ को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ रद्द करती है जो किसी व्यक्ति द्वारा मिथ्या जाति प्रमाण के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। "जाति प्रमाणपत्र" को 2000 के अधिनियम की धारा 2 (ए) में परिभाषित किया गया है जबकि "मिथ्या जाति प्रमाणपत्र" को परिभाषा खंड में शामिल नहीं किया गया है। जब किसी व्यक्ति द्वारा अनुचित या अनर्जित लाभ प्राप्त करने के लिए मिथ्या कथन या प्रतिनिधित्व किया जाता है, वहाँ छल का एक तत्व हमेशा रहता है। एक निर्दोष बयान जो बाद में गलत साबित होता है, सामान्य अर्थों में गलत के रूप में देखा जा सकता है लेकिन आम तौर पर उसे करने वाले व्यक्ति के प्रति दण्डात्मक या अहितकारी परिणामों को आकर्षित नहीं करता है क्याेंकि वह गलती से हुआ है। जहां असत्य कथन बेईमानीपूर्वक आशय के साथ किया गया है वहां उसके लिए कानूनी दंड की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 10 केवल *दत्तात्रेय* सांचे

में ही लागू होती है। जाहिरा तौर पर इसी कारण से *विलास* में, न्यायमुर्ति सेमा इस मत के थे कि 2000 का अधिनियम इससे पहले के तथ्यों पर लागू नहीं होता था। जबकि न्यायमुर्ति सिरपुरकर ने न्यायमुर्ति सेमा से सहमति जताने के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत संरक्षण को मंजूरी दे दी। *निमजे* में दो-न्यायाधीशों की एक अन्य पीठ ने कहा कि सरकारी संकल्प दिनांकित 15.6.1995, 2000 के अधिनियम के बाद भी वहां लागू रहेगा जहां नियुक्ति 1995 से पहले हुई थी। इसलिए भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 10.8.2010 से स्पष्ट प्रकट होता है कि "यह निर्णय लिया गया है कि वे व्यक्ति जो 'हलबा कोष्ठी/कोष्ठी' जाति से संबंधित हैं तथा जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें जारी किए गए अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति हुए है, उन्हें संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950(समय-समय पर यथासंशोधित), जहां तक कि वह महाराष्ट्र राज्य व उसकी नियुक्तियाँ से संबंधित है, 28.11.2000 पर या उससे पहले अंतिम हो गई थीं, प्रभावित नहीं होंगी लेकिन उन्हें 28.11.2000 के बाद आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

8. हमारे समक्ष अपीलार्थी 'हलबा अनुसूचित जनजाति' के समलिंगी होने के दावे के बल पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से जारी प्रमाण पत्र दिनांकित 8.7.1974 के आधार पर 6.11.1981 से सेवा में है।

निश्चित रूप से वह अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पद पर नियुक्त हुई है। वह सहायक शिक्षक के रूप में 1.1.1984 से स्थायी हुई है। उत्तरदाता सं 1 और 2 द्वारा अपने आदेश दिनांकित 17.9.1989 द्वारा अपीलार्थी को सहायक प्रधानाध्यापिका के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद समसंख्यक आदेश द्वारा उसे दिनांक 28.4.1994 को प्रधानाध्यापिका के रूप में जाति वैद्यता प्रमाणपत्र पेश करने के अधीन पदोन्नत किया गया। यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र जाति जांच समिति, नागपुर को सत्यापन के लिए कब निर्देशित किया गया लेकिन उक्त समिति द्वारा अपने आदेश दिनांकित 20.8.2003 द्वारा इसे अमान्य माना गया। बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के विद्वान एकल न्यायाधीश ने सरकारी संकल्प दिनांक 15.6.1995 के आधार पर रिट पिटीशन नम्बर 3500/2003 में अपने आदेश दिनांक 2.9.2003 द्वारा सेवा में संरक्षण प्रदान किया। इसके बाद लंबा मुकदमा चलाया गया। अंततः एक और रिट याचिका नम्बर 4532/2004 दाखिल हुई जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 11.11.2009 द्वारा स्कूल ट्रिब्यूनल, नागपुर द्वारा पारित बहाली के आदेश को अपास्त कर दिया जिसकी पुष्टि खंड पीठ द्वारा विवादित आदेश में की गयी जिसकी राय थी कि *दत्तात्रेय ने* अपीलार्थी को किसी भी सुरक्षा के विस्तार से प्रतिबंधित कर दिया है। उस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, खण्ड पीठ ने बहुत सारे उदाहरणों पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा, यद्यपि दो-

न्यायाधीशों की पीठों द्वारा वास्तव में संरक्षण दिया गया था। जो भी हो, हम सोचते हैं कि चूंकि अपीलार्थी के दावे में कोई झूठ नहीं था इसलिए उसे ऐसे नहीं देखा जा सकता कि उसने एक झूठा जाति प्रमाणपत्र पेश किया हो, 2000 के अधिनियम की धारा 10 की कठोरता उसके मामले में लागू नहीं होगी। अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाणपत्र समिति, नागपुर के आदेश का अवलोकन करने से पता चलता है कि समिति इस बात से संतुष्ट थी कि 'गडवाल कोष्ठी' जाति के संबंध में उसका दावा सही था लेकिन वह 'हलबा' अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं थी। सरकार का प्रस्ताव दिनांकित 15.6.1995 विशेष रूप से घोषित करता है कि निम्नलिखित मूल रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए थे और इसलिए "विशेष पिछड़ा वर्ग" सरकारी संकल्प दिनांक 7.12.1994 के अनुसार :

क्रम संख्या	जाति का नाम
1.	....
2.	....

3.(1) कोष्ठी (2) हलबा कोष्ठी (3) हलबा जाति (4)साली (5) लद्दाखी (6) गडवाल कोष्ठी

(7) देशकर (8) सालेवार (9) पद्मशाली (10) द्वांग

(11) काची ढांडे (कांच का व्यवसाय) (12) पटवोस (13) सतपाल (14)साडे(15)धनकोष्ठी।

[जोर दिया गया]

9. यह समझने के लिए कि कौनसी श्रेणी अपेक्षाकृत पिछड़े या बहिष्कृत या आदिवासी, में आती है, विशेष निकायों की आवश्यकता होती है। जैसे जाति जाँच समितियाँ, विशेषज्ञ वकील, अनुभवी नौकरशाह आदि। इसलिए, एक व्यक्ति जिसने ईमानदारी से किसी समूह के साथ समानता का दावा किया, जो बाद में उस समूह से संबंधित नहीं पाया गया लेकिन जो एक विशेष पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उसकी नौकरी को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। हम सोचते हैं कि विधि का यह आशय नहीं है, और निश्चित रूप से वह नहीं था जिसका सामना तीन न्यायाधीशों की पीठ ने *दत्तात्रेय* में किया था। इसलिए, हमारी राय में, अपीलार्थी को ऐसे किसी भी अतिरिक्त लाभ से वंचित कर दिया गया है जो 'हलबा' जनजाति से संबंधित व्यक्तियों के लिए था।

10. तदनुसार, हम अपीलार्थी की सेवा में बहाली का निर्देश देते हैं लेकिन बिना किसी पिछले वेतन के। समय के साथ यह संभव है कि उत्तरदाता नंबर 1-स्कूल की प्रधानाध्यापिका के रूप में एक और पदधारी हो और हम सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति को हटाना न्यायोचित नहीं होगा लेकिन अगर यह पद अपीलार्थी के सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुँचने से

पहले खाली हो जाता है तो उसे फिर से नियुक्त किया जाएगा लेकिन उसे अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के रूप में आगे कोई पदोन्नति नहीं दी जायेगी जब तक कि वह विशेष पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के रूप से हकदार न हो। उक्तानुसार अपील निस्तारित की जाती है। पक्षकार अपना-अपना खर्च वहन करेंगे।

आर. पी.

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक नारायण प्रसाद (न्यायिक अधिकारी) द्‌वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।